न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 153/2018

उनवान

1. हैदरबेग पुत्र अहमद बेग,
2. माहम्मदी पत्नी साजन बेग,
3. मुराद,
4. हमीदा,
5. साहिरी,
6. महबूब,
7. सुरूमा,
8. रशीदा,
9. मस्ताना पि0 साजन बेग,
10. जरीनरबेग पत्नी शेरे बेग,
11. महमूदा बेगम पुत्री शेरे बेग
12. रईसा बेगम पत्नी रफीक,
13. सद्दाम,
14. अलामाफी,
15. सरीफ बालिग,
16. सुल्तान, ना.बा.
17. मुश्ताक ना.बा. पि0 रफीक जरियें संरक्षक माता रईसा ग्राम जिलावडा, नसीराबाद

वादीगण :–– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बाबू देग,
2. हसीना बेगम,
3. जरीना बेगम,
4. जमली बेगम,
5. छोटी बेगम
6. रहीश बेगम पि. हासम बेग जाति मुसलमान नि. जिलावडा, नसीराबाद,
7. राज0 सकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

प्रतिवादीगण :– 1 से 6 अनुपस्थित, 7 जरियें राज0 पैराकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 सपठित धारा 131 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19.6.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा में वादीगण की खातेदारी/काश्तकारी की आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
364	0–16–0	164	0–16–0	191	0.01
				190 मिन	0.14
365	36–7–10	238	9–10–0	189	1.18
				188/5833	0.36
	1–10–0			187	2.68
	0–9–0	239	22–1–0	209	0.05
	9–2–10			205/5202	0.12
	9–2–10			204/5201	0.08
				188/5834	0.64
				188	1.70
		240	25–0–0	188/5324	2.12
				692	0.23

उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 364 व 365 में 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 हैदर के पिता व अन्य वादी के पूर्वज अहमद बेग पुत्र कम्माबेग के द्वारा दिनांक 15.03.55 को विक्रय पत्र पेश कराते हुये दिनांक 24.03.55 को पंजीयन कराया। कुल 18–5–0 का आधा हिस्सा 9–10–10 क्रय किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज पीरूबेग पुत्र पौना बेग के द्वारा दिनांक 24.1.55 को चौसाला ख.न. 364, 365 का आधा हिस्सा 9–10–0 क्रय किया गया। क्रेतागण अहमद की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। क्रेता पीरू बेग की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस हासम बेग व कासम बेग में से कासम नाऔलाद फौत हो गया है व हासम के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ही है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में क्रेतागण के नाम दर्ज की गयी। किन्तु उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 187 रकबा 2.68, 209 रकबा 0.05, 205/5202 रकबा 0.12, 204/!55201 रकबा 0.08, 188/5834 रकबा 0.64 को सिवायचक दर्ज कर दिया व हाल खसरा नम्बर 188 रकबा 1.70, 188/5324 रकबा 2.12, 692 रकबा 0.23 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम गलत अंकित कर दी गयी। वादी व प्रतिवादी के पूर्वज द्वारा संयुक्त रूप से आधा हिस्सा क्रय किया था। किन्तु वादीगण की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम गलत अंकित कर दिया गया है। तथा पूर्व नक्शा ट्रेस को परिवर्तित करते हुये हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण अंकन कर दिय है। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व अभिलेख व मानचित्र में इन्द्राज दुरूस्त करते हुये आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। अहमद बेद पुत्र कम्मा बेग ने दिनांक 24.3.55 को चौसाला खसरा नम्बर 364 रकबा 0–16–0 व 365 रकबा 18–05–0 कुल 19–1–0 में से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज पीरूबेग पुत्र पौना बेग के द्वारा दिनांक 24.1.55 को चौसाला खसरा नम्बर 364 रकबा 0–16–0 व 365 रकबा 18–05–0 कुल 19–1–0 में से 1/2 हिस्सा क्रय किया गया। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 240 रकबा 25–0–0 पूर्ण प्रतिवादी साख्या 1 से 6 के पूर्वज के नाम कर दिया गया, तथा उक्त वंर्किग जमाबंदी में नोट अंकित है कि

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खसरा नम्बर 240 रकबा 25–0–0 में से 14–15–0 रकबा सिवायचक दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रतिवादीगण के नाम उक्त 25–0–0 में से 9–5–0 रकबा ही खातेदारी रहा है। जबकि वर्किंग खसरा नम्बर 188 रकबा 1.70, 188/5324 2.12, 692 रकबा 0.23 पूर्ण हिस्सा ही प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि हाल खसरा नम्बर का 9–5–0 रकबा ही प्रतिवादी/पूर्वज के नाम दर्ज करना चाहिये था। वादीगण का कथन है कि उसके पूर्वज द्वारा व प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा बराबर–बराबर रकबा क्रय किया था किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में राजस्व मानचित्र व जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिये गये। किन्तु वर्किंग जमाबंदी व राजस्व मानचित्र अनुसार ही हाल राजस्व मानचित्र व जमाबंदी में वादीगण की भूमि का इन्द्राज किया गया है। उनके पूर्वज द्वारा विक्रय पत्र में अलग– अलग रकबा क्रय किया है। वादीगण की भूमि विक्रय पत्र अनुसार प्रतिवादीगण की भूमि भी विक्रय पत्र अनुसार दर्ज की गयी है। किन्तु प्रतिवादी के पूर्वज द्वारा जितना रकबा क्रय किया था उससे अधिक रकबा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। उनके द्वारा वाद का कोई खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा जितनी भूमि क्रय की गयी है उतनी भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर दुरूस्ती के अधिकारी नही है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम अधिक भूमि अंकित है। अतः प्रतिवादी के नाम दर्ज अधिक आराजी सिवायचक करना न्यायोचित है।

उक्तानुसार ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 188 रकबा 1.70, 188/5324 रकबा 2.12 व 692 रकबा 0.23 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। खसरा नम्बर 188 में से 1.08 व 188/5324 रकबा 2.12 में से 1.49 की आराजी सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ... (जिला-अजमेर)